

जम्मू-कश्मीर में शरणार्थियों को मिला भूमिका स्वामित्व

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में जम्मू और कश्मीर (J&K) सरकार ने पश्चिमी पाकस्तान शरणार्थियों (West Pakistan Refugees- WPR) तथा वर्ष 1965 के भारत-पाकस्तान युद्ध के दौरान वसिथापति व्यक्तियों को मालकिनाना अधिकार प्रदान किये।

- पश्चिमी पाकस्तानी शरणार्थी (WPR) वे व्यक्त हैं जो वर्ष 1947 में वभाजन के दौरान पश्चिमी पाकस्तान से तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य (अब केंद्रशासित प्रदेश) में चले आए थे और मुख्य रूप से जम्मू संभाग के जम्मू, कटुआ तथा राजौरी जिलों में बस गए थे।
- यह नरिणय कषेत्र में वधिनसभा चुनाव कराने के लिये [सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा नरिधारित 30 सतिंबर, 2024 की समय-सीमा से पहले लिये गया।
- वसिथापितों को राज्य की भूमि पर अधिकार प्रदान करके भेदभाव समाप्त हो गया तथा उनके अधिकारों को पाकस्तान अधकृत जम्मू और कश्मीर (Pakistan Occupied Jammu and Kashmir- PoJK) से वसिथापति व्यक्तियों के अधिकारों के समान कर दिया गया।
- इससे पहले, WPR परिवारों को "गैर-राज्य वषिय" माना जाता था और वर्ष 1947 के वभाजन के समय नविसी नहीं होने के कारण वे जम्मू तथा कश्मीर में मत नहीं दे सकते थे।
- 5 अगस्त, 2019 को [अनुच्छेद 370](#) के नरिसत् होने के बाद उन्हें अधवास का दर्जा और मतदान का अधिकार दिया गया।



अधकि पढ़ें: [अनुच्छेद 370 हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय](#)।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/refugees-in-j-k-get-land-ownership>

